

प्रेस नोट दिनांक- 11.10.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

धोखाधड़ी एवं कूटरचित दस्तावेजों से संबंधित अभियोग में प्रकाश में आए 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना बाघराय पुलिस द्वारा धोखाधड़ी एवं कूटरचित दस्तावेजों से संबंधित अभियोग में प्रकाश में आए 02 अभियुक्तों राम किशुन एवं रोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण-

वादिनी निवासी ग्राम उमरी कोटिला (दून की बाग), थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार, माह दिसंबर 2022 में कुछ व्यक्तियों द्वारा फूलकली पत्नी लल्लू प्रसाद को अपनी रिश्तेदार बताते हुए ग्राम उमरी कोटिला स्थित भूमि को बेचने की बात कही गई। उक्त भूमि का विक्रय मूल्य ₹2,30,000/- तय होने पर दिनांक 16.12.2022 को उपनिबंधक कार्यालय, कुण्डा में वादिनी के पक्ष में बैनामा निष्पादित कराया गया।

वादिनी के अनुसार, बाद में भूमि की पैमाइश के दौरान जानकारी हुई कि बैनामा करने वाली महिला उक्त भूमि की वास्तविक स्वामिनी नहीं थी तथा दूसरे के नाम दर्ज भूमि को अपना बताकर कथित रूप से कूटरचित एवं फर्जी तरीके से बैनामा कराया गया था। विरोध करने पर वादिनी एवं उसके पति को धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना बाघराय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपराधों के अनावरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अ पर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में वरिष्ठ उपनिरीक्षक जिलेदार पाल मय हमराह का० सुनील कुमार एवं का० अतुल कुमार द्वारा मु०अ०सं० 265/2025, धारा 467/468/471/506/120बी भादवि की विवेचना के क्रम में दबिश देकर ग्राम उमरी कोटिला (दून का बाग), थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ से निम्नलिखित दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया—

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. राम किशुन पुत्र स्व० मोहर, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी उमरी कोटिला (दून का बाग), थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

2. रोहित कुमार पुत्र श्रीराम दुलारे, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी उमरी कोटिला (दून का बाग), थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

वरिष्ठ उपनिरीक्षक जिलेदार पाल मय हमराह का0 सुनील कुमार एवं का0 अतुल कुमार, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बाघराय के उ0नि0 जय सुशील मिश्रा द्वारा मा0 न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वारा निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र के अनुपालन में थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत ग्राम देवरी हरदो पट्टी से 01 वारण्टी अभियुक्त गौरी शंकर पुत्र महावीर यादव निवासी ग्राम देवरी हरदो पट्टी, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-

गौरी शंकर पुत्र महावीर यादव निवासी ग्राम देवरी हरदो पट्टी, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़। संबंधित वाद संख्या यू0पी0पी0जी005-003683-2015, गिरफ्तारी अधिपत्र संख्या 133/1989, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 जय सुशील मिश्रा, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

थाना अन्तू पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अन्तू पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 275/2009, धारा 341/147 भादवि व 7 सीएलए एक्ट से संबंधित अभियुक्त गणेश वर्मा को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 11.10.2026 को उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह आरक्षी जयन्त कुशवाहा द्वारा क्षेत्र में देखभाल, संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग तथा वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर बाईपास लोनियामऊ के पास से अभियुक्त गणेश वर्मा पुत्र छेदीलाल, निवासी ग्राम लोनियामऊ, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को उसके विरुद्ध पंजीकृत मु0अ0सं0 275/2009, धारा 341/147 भादवि व 7 सीएलए एक्ट के अपराध से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. गणेश वर्मा पुत्र छेदीलाल, निवासी ग्राम लोनियामऊ, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह, आरक्षी जयन्त कुशवाहा, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

चोरी की घटना का अनावरण कर 01अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का सामान, घटना में प्रयुक्त टाटा इंट्रा वाहन एवं ₹520 नकद बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस, स्पेशल टीम एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्रवाई में चोरी की घटना का अनावरण, 13 अभियोगों में संलिप्त अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार; चोरी का सामान, घटना में प्रयुक्त टाटा इंट्रा वाहन एवं ₹520 नकद बरामद।

अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ़ एवं अमेठी में चोरी, लूट सहित विभिन्न अपराधों में लगभग 13 अभियोगों में नामजद अन्तर्जनपदीय अभियुक्त सचिन गौतम गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपराधों के अनावरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में थाना सांगीपुर पुलिस, स्पेशल टीम एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा चोरी के अभियोग का अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी का सामान, घटना में प्रयुक्त टाटा इंट्रा V10 चार पहिया वाहन तथा ₹520 नकद बरामद किए गए।

घटना का विवरण-

ग्राम गोवर्धनपुर, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ निवासी वादी के भाई के घर में दिनांक 06/07.09.2026 की रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ताला तोड़कर इन्वर्टर, बैटरी, सीसीटीवी डीवीआर, टीवी, सिलाई मशीन, गैस

सिलेंडर, बर्तन, कपड़े एवं अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया गया था। उक्त घटना के संबंध में थाना सांगीपुर पर मु0अ0सं0 207/2026, धारा 305A/331(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी की कार्यवाही-

उपनिरीक्षक आदित्य कुमार पाण्डेय मय हमराह का0 कुलदीप पाल, का0 मुकेश कुमार यादव, का0 सुनील दुबे एवं रि0का0 प्रकाश तथा स्पेशल टीम के उपनिरीक्षक विजेंद्र सिंह, प्रभारी स्पेशल टीम, हे0का0 भानु प्रताप सिंह, हे0का0 मनोज यादव, का0 माधवेश राय एवं का0 मुकेश पटेल द्वारा क्षेत्र में देखभाल, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग तथा वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि विन्ध्यासिंह का पुरवा मार्ग पर सत्यम सिंह के मुर्गी फार्म के पास कुछ व्यक्ति एक छोटा हाथी वाहन पर संदिग्ध सामान लाद रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुँची तो पुलिस को देखकर वाहन सवार व्यक्तियों ने भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर वाहन में पीछे बैठे एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जबकि तीन अन्य व्यक्ति अंधेरे एवं झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार हो गए। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान सचिन गौतम पुत्र सुखराम गौतम, निवासी ग्राम भाटन का पुरवा, शाहबरी, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष के रूप में हुई।

पूछताछ में घटना का खुलासा-

गिरफ्तार अभियुक्त सचिन गौतम ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने तीन अन्य साथियों सत्यम सिंह पुत्र जमुना प्रसाद सिंह निवासी पूरे नारायणदास, विक्रम वर्मा निवासी धोबियाना शाहबरी एवं कमल सिंह निवासी लालगंज के साथ मिलकर करीब एक माह पूर्व ग्राम पूरे पण्डित गोवर्धनपुर निवासी एक व्यक्ति के घर का ताला तोड़कर चोरी की थी। चोरी किए गए सामान को ले जाकर सत्यम सिंह के मुर्गी फार्म के पास छिपा दिया गया था। दिनांक 10.10.2026 को चारों व्यक्ति उक्त सामान को बेचने के उद्देश्य से टाटा इंद्रा वाहन पर लाद रहे थे, तभी पुलिस टीम मौके पर पहुँच गई। पुलिस को देखकर उसके तीनों साथी मौके से फरार हो गए, जबकि वह वाहन में पीछे बैठा होने के कारण पकड़ा गया।

अभियुक्त ने यह भी बताया कि करीब तीन माह पूर्व ग्राम सभा तारापुर में एक घर से चारों ने मिलकर लगभग ₹50,000 की चोरी की थी। चोरी की रकम आपस में बाँट ली गई थी तथा उसके हिस्से में मिले रुपयों को खर्च करने के बाद शेष ₹520 उसके पास बचे थे, जो तलाशी के दौरान बरामद हुए। बरामद सामान के संबंध में थाना सांगीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 207/2026 के वादी मुकदमा को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने बरामद सामान की पहचान करते हुए बताया कि उक्त सामान उनके भाई के घर से दिनांक 06/07.09.2026 की रात्रि में चोरी हुआ था।

बरामदगी का विवरण-

- * 01 अदद इन्वर्टर मशीन (Microtek)।
- * 01 अदद इन्वर्टर बैटरी (SF Batteries Pro Tubular 150 MAH)।
- * 01 अदद एलसीडी टीवी (80 CM)।
- * 01 अदद सिलाई मशीन (ADEEBA)।
- * 01 अदद गैस सिलेंडर (Indian, 14.2 KG)।
- * घटना में प्रयुक्त 01 अदद टाटा इंद्रा V10 चार पहिया वाहन।

* ₹520 नकद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास एवं आपराधिक गतिविधियाँ-

गिरफ्तार अन्तर्जनपदीय अभियुक्त सचिन गौतम के विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़ एवं जनपद अमेठी में चोरी, चोरी के माल की बरामदगी/खरीद-फरोख्त से संबंधित धाराओं, घर में घुसकर चोरी, लूट, मारपीट, धमकी, आर्म्स एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में कुल 13 अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास निम्नवत है—

1. मु0अ0सं0 66/2021, धारा 411 भादवि, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 67/2021, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 199/2021, धारा 147/148/323/504/506/427/452/379 भादवि, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 410/2021, धारा 379 भादवि, थाना गौरीगंज, जनपद अमेठी।
5. मु0अ0सं0 55/2022, धारा 379/411 भादवि, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0 119/2022, धारा 457/380/411 भादवि, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
7. मु0अ0सं0 183/2022, धारा 457/380/411 भादवि, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
8. मु0अ0सं0 185/2022, धारा 457/380/411 भादवि, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
9. मु0अ0सं0 01/2023, धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
10. मु0अ0सं0 244/2023, धारा 504/506 भादवि, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
11. मु0अ0सं0 09/2024, धारा 392/506/411 भादवि, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
12. मु0अ0सं0 31/2024, धारा 394/411 भादवि, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।
13. मु0अ0सं0 207/2026, धारा 305A/331(4)/317(2)/317(4)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पंजीकृत अभियोग में की गई कार्यवाही- थाना सांगीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 207/2026, धारा 305A/331(4) बीएनएस में धारा 317(2)/317(4)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर पुलिस हिरासत में लिया गया। बरामद चोरी के सामान, ₹520 नकद एवं घटना में प्रयुक्त वाहन को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना सांगीपुर पुलिस टीम-

श्री गौरव त्रिवेदी, थाना प्रभारी सांगीपुर।

उ0नि0 आदित्य कुमार पाण्डेय।

का0 कुलदीप पाल।

का0 मुकेश कुमार यादव।

का0 सुनील दुबे।

रि0का0 प्रकाश।

थाना सांगीपुर की अन्य सम्मिलित पुलिस टीम।

स्पेशल टीम-

उ0नि0 विजेंद्र सिंह, प्रभारी स्पेशल टीम।

हे0का0 भानु प्रताप सिंह।

हे0का0 मनोज यादव।

का0 माधवेश राय।

का0 मुकेश पटेल।

सर्विलांस सेल-

सर्विलांस सेल, जनपद प्रतापगढ़ की टीम।

थाना सांगीपुर पुलिस, स्पेशल टीम एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्यवाही से चोरी की घटना का अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा चोरी का सामान एवं घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद किया गया। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी है।

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मान्धाता के उ0नि0 सुभाष चन्द्र सिंह मय हमराह का0 हरिपाल द्वारा मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-13, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी गैर जमानती वारंट (NBW) के अनुपालन में ग्राम जुड़ापुर, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ से वारण्टी अभियुक्त विजय कुमार पुत्र माता प्रसाद निवासी ग्राम बुजहा, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसके पुत्र आकाश को दी गई।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-

विजय कुमार पुत्र माता प्रसाद निवासी ग्राम बुजहा, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सुभाष चन्द्र सिंह मय हमराह का0 हरिपाल थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।